प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 15.05.2026

- **थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 23.02.2026 की रात्रि में उ0प्रा0 विद्यालय बलुवापुर कानपुर देहात में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के ऑफिस की खिडकी को तोड़कर अन्दर रखी ऑफिस की अलमारी का ताला तोडकर एक टेबलेट व बक्सों का ताला तोड़कर विद्यालय के बर्तन तथा गैस सिलेन्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री राजेश सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 79/2026 धारा 305-ए/331(4) बीएनएस** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था व दिनांक 22/23.04.2026 की रात्रि में कस्बा शिवली स्थित राधेमोहन मेडिकल स्टोर में अज्ञात चोरों द्वारा छत पर लगा लोहे का जाल तोड़कर करीब 60,000/- रुपये व करीब 20,000/- रुपये कीमत का कास्मेटिक का सामान व डी0वी0आर0 को चोरी कर ले जाने व इन्वर्टर, बैटरी तथा वायरिंग को नष्ट कर देने के सम्बन्ध में वादी श्री कुशाग्र मिश्रा पुत्र श्री पियूश कुमार मिश्रा निवासी A 126 गौतम विहार नया शिवली रोड कल्यानपुर कानपुर नगर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 149/2026 धारा 305-ए/331(4)/324(4) भारतीय न्याय संहिता 2023** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का थाना शिवली पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. शिवा पुत्र चन्द्रजीत सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम काशीराम निवादा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर 2. देवा पुत्र संतोष कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम काशीराम निवादा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर को आज दिनांक 14/15.05.2026 की रात्रि में द्वारिका हीरो मोटर्स एजेंसी के आगे करीब 200 मीटर दूरी पर शिवली चौबेपुर मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शिवा उपरोक्त के कब्जे से चोरी के 7700/- रुपये तथा अभियुक्त देवा उपरोक्त के कब्जे से चोरी के 7300/- रुपये बरामद हुए। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 79/2026 व मु0अ0सं0 149/2026 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हमारे पास कोई नौकरी नही है, गलत संगत में आकर हमसे गलती हो गयी और चोरी करने लगे। फरवरी माह में हमने ग्राम बलुआपुर गांव के सरकारी स्कूल में ऑफिस की खिडकी तोड़कर अन्दर रखी ऑफिस की अलमारी का ताला तोडकर टेबलेट व अलमारी से चाबी लेकर बक्सों का ताला तोड़कर विद्यालय के बर्तन प्लेटे, ग्लास, थालियाँ और रसोईघर के रोशनदान को तोडकर गैर सिलेण्डर व करीब 05 लीटर पेन्ट चोरी किया था, हमने टेबलेट को पकडे जाने के डर से रास्ते में कही फेक दिया था व सिलेण्डर और बर्तन व पेन्ट के डिब्बों को हमने राहगीरों को 5000/- रूपये में बेच दिया था और जो पैसे मिले थे उसे हमने आधे-आधे बांट लिये थे एवं दिनांक 22/23.04.2026 की रात्रि में हमने मौका देखकर कस्बा शिवली में कल्यानपुर तिराहे के

पास राधे मोहन मेडिकल स्टोर में छत के रास्ते से चढकर लोहे के जाल को तोडकर मेडिकल स्टोर में घुस कर चोरी की थी जिसमे करीब 60 हजार नगद व कास्मेटिक का सामान व दुकान में लगे डीवीआर को चोरी किया था व पकड़े जाने के डर से दुकान में लगे कैमरा व इन्वर्टर तोड़ कर भाग गये थे। कास्मेटिक का सामान जो चोरी किया था उसमें जरूरत का सामान व पैसे आपस में बांटकर रख लिये थे व कास्मेटिक के सामान को इस्तेमाल कर लिया जो जरूरत का नही था उसको रास्ते में फेंक दिया था। जो पैसे मिले थे उसमें से हमने कुछ खर्च कर दिये और जो पैसे बचे थे वह आपने हमसे बरामद किये हैं।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. शिवा पुत्र चन्द्रजीत सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम काशीराम निवादा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर,
2. देवा पुत्र संतोष कुमार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम काशीराम निवादा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर,

बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त शिवा के कब्जे से 7,700/- रुपये बरामद हुये, (मु0अ0सं0 149/2026 से सम्बन्धित 6,700 रुपये व मु0अ0सं0 79/2026 से सम्बन्धित 1,000/- रुपये)
2. अभियुक्त देवा के कब्जे से 7,300/- रुपये बरामद हुये, (मु0अ0सं0 149/2026 से सम्बन्धित 6,300 रुपये व मु0अ0सं0 79/2026 से सम्बन्धित 1,000/- रुपये)

अभियुक्त शिवा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 79/2026 धारा 305-ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 149/2026 धारा 305-ए/331(4)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,
3. मु0अ0सं0 316/2025 धारा 115(2)/ 351(3)/ 352 बीएनएस व 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,
4. मु0अ0सं0 44/2026 धारा 115(2)/ 351(3)/ 352 बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त देवा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 79/2026 धारा 305-ए/331(4)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 149/2026 धारा 305-ए/331(4)/324(4)/317(2) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,
3. मु0अ0सं0 316/2025 धारा 115(2)/351(3)/ 352 बीएनएस व 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक अमरेन्द्र बहादुर सिंह

उ0नि0 आनंद कुमार पाण्डेय

हे0का0 229 मोहित यादव

का0 180 रवी कुमार